राज्य पंजीयक आधार परियोजना, राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

File No. : F8(415)/DoIT/Gen/21/Vol-1/05706/2022 Dated : 30/08/2022

अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
समस्त जिले (राजस्थान)।

विषयः– आधार नामांकन व अपडेशन के समय आधार आपरेटर द्वारा रसीद जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांक F8(415)/DoIT/Gen/21/Vol-1/04385/2022 दिनांक 06.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आधार केन्द्रों पर आधार नामांकन / अपडेशन के समय आधार आपरेटर द्वारा निर्धारित प्रारूप में रसीद जारी करने के आदेश जारी किये गये थे। विभाग के अधिकारियों द्वारा आधार केन्द्रों के औचक निरीक्षण मे पाया गया कि जयपुर जिले के अधिकतर आधार ऑपरेटर्स द्वारा उक्त रसीद जारी नहीं की जा रही है। साथ ही यह भी विभाग के संज्ञान में आया है कि ब्लॉक स्तर पर प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर को उक्त रसीद के प्रारूप / निर्देशों के बारे मे कोई जानकारी ही नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों / आधार ऑपरेटर्स को यह निर्देश जारी करे कि सभी आधार ऑपरेटर्स निर्धारित प्रारूप मे रसीद बुक प्रिन्ट करवाकर नागरिको को आधार नामांकन / अपडेशन के समय उक्त रसीद जारी करे।

दिनांक 01.09.2022 के बाद ऑपरेटर्स द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

30/08/22

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यू.आई.डी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. निजी सचिव, श्री मान आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

30/8/2022

एसीपी (उपनिदेशक)–यू.आई.डी.

राज्य पंजीयक आधार परियोजना, राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

File No. : F8(415)/DoIT/Gen/21/Vol-1/04385/2022 Dated : 06/07/2022

अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
समस्त जिले (राजस्थान)।

विषयः– आधार नामांकन व अपडेशन के समय आधार आपरेटर द्वारा रसीद जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में आधार ऑपरेटर्स द्वारा ओवरचार्जिंग व एक दिन में 150 से ज्यादा आधार नामांकन व डेटा अपलोड के बहुत अधिक केस आ रहे है, जिससे रजिस्ट्रार / आधार ऑपरेटर पर वित्तीय पेनेल्टी लग रही है।

अतः सक्षम स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि सभी आधार ऑपरेटर्स द्वारा एक रसीद बुक साईज 4X6 Inch की स्वंय के खर्चे पर छपाई जायेगी और इसे 15 जुलाई 2022 से आवश्यक रूप से आधार आपरेटर्स द्वारा आधार नामांकन व अपडेशन के समय भरा जावेगा। एक प्रति निवासी को दी जायेगी। कार्बन प्रति रसीद बुक में ही रहेगी। जो आधार सेवाएँ निःशुल्क है और निवासी से राशि नहीं ली जा रही है, उनको FREE अंकित की रसीद काटी जावेगी। प्रत्येक निवासी को यह रसीद दिया जाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई के बाद इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर्स के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। रसीद बुक का ड्राफ्ट सलंग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यू.आई.डी.)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. निजी सचिव, श्री मान आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

6/7/2022

एसीपी (उपनिदेशक)–यू.आई.डी.

रसीद

ऑपरेटर का नाम.. आई.डी..........................

सेंटर की आई.डी.. स्थान..........................

1. आवेदक का नाम..

2. पता..

3. मोबाइल नम्बर...

4. कार्य..

5. प्राप्त राशि...

दिनांक.............................. हस्ताक्षर